स्पीडपोस्ट

बजट आवंटन वर्ष 2008–09

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

(1) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश, जल निगम,
लखनऊ।

(2) महाप्रबन्धक,
झाँसी डिवीजन, जल संस्थान, झाँसी।

(3) महाप्रबन्धक,
चित्रकूट धाम मण्डल, जल संस्थान, बाँदा।

पत्रांकः 435/कार्य0/पेयजल/अनुरक्षण/2008–09 दिनांकः 12,मई, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–970/38–5–2008–27बजट/2007 दिनांक 15–4–2008 एवं शासनादेश संख्या–1100/38–5–2008–27बजट/07, दिनांक 5–5–2008(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा वर्ष 2008–09 में ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यो हेतु रू0 50,00,00,000/– (रू0 पचास करोड़ मात्र) की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखें जाने एवं कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त धनराशि में से ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के रखरखाव/अनुरक्षण/संचालन मद के लिए मात्राकृत धनराशि रू0 7,50,00,000/–(रू0 सात करोड़ पचास लाख) आपको आवंटित की जा रही है। जिसकी फांट निम्नवत हैः–

धनराशि रूपये में

1	उत्तर प्रदेश जल निगम	रू0 4,87,50,000/–
2	जल संस्थान झाँसी मण्डल, झाँसी	रू0 1,31,25,000/–
3	जल संस्थान चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा	रू0 1,31,25,000/–
	योगः–	रू0 7,50,00,000/–

2– इस धनराशि का व्यय ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं रख–रखाव पर ही किया जाय, जिन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण का दायित्व पंचायतों का है, उन पर इस धनराशि का व्यय न किया जाय।

3– शासनादेश संख्या– 1543/38–5–07–27 बजट/06, दिनांक 27–7–2007 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय ।

4– उक्त आवंटन का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक –2215–जलपूर्ति तथा सफाई–आयोजनागत –01–जलपूर्ति–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ–01–त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम (ए0आर0डब्लू0एस0पी0) (के. 50/रा.50–रा.)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

5– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–137 पर कर ली गयी है।

संलग्नकः–उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

Manoj 10.5.08

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

2

पत्रांकः /कार्य0/पेयजल/2007–08 दिनांकः उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– मण्डलायुक्त, लखनऊ, झॉसी, बॉदा, उत्तर प्रदेश।
4– कोषाधिकारी, झॉसी, चित्रकूट धाम, बॉदा, उत्तर प्रदेश।
5– मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7– नियोजन अनुभाग–3/ग्राम्य विकास अनुभाग–3 ।
8– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनु0–2 ।
9– सचिव, उ0प्र0शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–5 के पत्र संख्या–1100/38–5–08–27बजट/07 दिनांक 5–5–2008 के संदर्भ में।

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।